2811/25 वकील उभय पक्ष उक्त। मूलवाद प्रारूपण O7R11 - 151 CPC के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः इस्तगत प्रकरण में कोई सांपत्तिक दोष नहीं पाया गया है। स्थिरता प्रार्थनापत्र भी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण के संबंध में T.I. दिनांक 16.10.18 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर फुल बाद लेखान रहे।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.01 10:06:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner